

प्रेषक,

सदा कान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 2. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। |
| 3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। | 4. नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 23 नवम्बर, 2016

विषय:- प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत लागू की जाने वाली औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु विभिन्न छूट प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्यान अनुभाग के शासनादेश संख्या-15/एन०बी०-988/58-2014-44/2014 दिनांक 07.11.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसमें निम्नवत उल्लेख किया गया है :-

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में तुड़ाई के उपरान्त होने वाली क्षतियों को और अधिक कम करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत भी बहुउद्देशीय/बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना, पैक हाउस, ग्रेडिंग कलेक्शन सेन्टर, समेकित कोल्ड चेन आदि की स्थापना कराये जाने की आवश्यकता कृषक हित में होती है उक्त व्यवस्था इस कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की ग्रेडिंग पैकिंग, भण्डारण एवं अवशीतन की सुविधायें कृषकों/उद्यमियों को उनके उत्पादन क्षेत्र के अधिक से अधिक समीप ही उपलब्ध कराने से उनके उत्पादों की गुणवत्ता उच्च कोटि की बनी रहेगी, किन्तु वर्तमान में उपरोक्त कार्य-कलापों की स्थापना हेतु कृषकों/उद्यमियों को प्रभाव कर (इम्पैक्ट टैक्स) देना पडता है।

2- इस प्रकार प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि भूमि पर शीतगृह आदि स्थापित किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर देय प्रभाव कर (इम्पैक्ट टैक्स) के कारण भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनुदान देकर प्रोत्साहित किये जाने वाले उक्त कार्य कलापों पर प्रभाव कर के रूप में कृषकों/उद्यमियों द्वारा शासन को धनराशि का भुगतान करने के कारण शासन द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिये जाने की मंशा पूर्ण ही नहीं होती है तथा कृषक/उद्यमी इस प्रकार की योजनाओं को अपने क्षेत्रों में लागू करने हेतु प्रेरित नहीं हो पाते हैं।


3- कृषि का व्यवसायीकरण करने एवं कृषकों को उनके उत्पादों का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से उत्पादन स्थल के समीप कृषि भूमि पर इन्टीग्रेटेड पैकिंग एवं ग्रेडिंग केन्द्र, कलेक्शन सेन्टर वैल्यू एडिशन हेतु प्राइमरी प्रसंस्करण इकाई एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्हें प्रमोशनल एक्टिविटीज मानते हुए "इम्पैक्ट टैक्स" से मुक्त रखने और कृषि भूमि के उपयोग हेतु भू-उपयोग सीमा 10 से 35 प्रतिशत किये जाने की छूट प्रदान करने तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा इस छूट की व्यवस्था विकास प्राधिकरणों द्वारा अन्य सम्पतियों पर कास सॉलिसिडाइजेशन से किया गया है।

4- उक्त शासनादेश यमुना एक्सप्रेस व प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपीडा की अधिसूचित क्षेत्र में लागू नहीं माना जायेगा।

5- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियम/नियम/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।


भवदीय,


(सदा कान्त)
प्रमुख सचिव
०

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- निदेशक आवास बन्धु उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,


(हलधर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव
०